रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 2016/श्रावण 18, 1938
No. 554] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 2016/SRAVANA 18, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 779(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल में, समूह 'क' सचिवीय सेवा काडर गैर योधक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल गैर योधक, सचिवीय सेवा समूह 'क' काडर भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या,उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. अधिवर्षिता.—इन नियमों के अधीन नियुक्त कार्मिक जिस माह में साठ वर्ष की आयु पूरी करेगा, उस माह की आखिरी तारीख को अपरान्ह सेवा से निवृत्त होगा :

परन्तु यदि किसी व्यक्ति की जन्म तारीख किसी माह की पहली तारीख है तो वह जिस माह में साठ वर्ष की आयु पूरी करेगा, उससे पूर्ववर्ती माह की आखिरी तारीख को अपरान्ह सेवा से निवृत्त होगा।

7. सेवा का दायित्व.—इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में कही भी या विदेश में सेवा का दायी होगा।

8. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.संयुक्त उप निदेशक	01★ (2016) ★कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड–3 15600–39100 रु. और ग्रेड वेतन 7600रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नतिः–** (क) वेतन बैंड–3, 15600–39100रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु. में सशस्त्र सीमा बल के ऐसे सहायक निदेशक जिन्होंने उस ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की होय और	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(ख) समय समय पर महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट दो सप्ताहों का प्रोन्नति प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण:2** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	निम्नलिखित होंगे :— 1.अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2.महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य 3.निदेशक, गृह मंत्रालय : सदस्य 4.उप महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल : सदस्य	करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक निदेशक	05★ (2016) ★ कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड–3 15600–39100रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नतिः** (क) 60% सशस्त्र सीमा बल के ऐसे अनुभाग अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन बैंड–2, 9300–34800रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. की ग्रेड में सात वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) समय समय पर महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट दो सप्ताहों का प्रोन्नति प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । (क) 40% सशस्त्र सीमा बल के ऐसे निजी सचिवों की प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन बैंड–2, 9300–34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. की ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2.महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य 3.निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय : सदस्य 4.उप महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(ख) समय समय पर महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट दो सप्ताहों का प्रोन्नति प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण :2** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल : अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय : सदस्य 3. उप महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल : सदस्य	

[फा. सं. 17/2/एस॰एस॰बी॰/सी॰एस॰सी॰/क्षेत्र/समूह 'क' /2014/एस.एफ.एस.]

वी. शशांक शेखर, संयुक्त सचिव (पुलिस -II)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में, सा.का.नि. 180(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 204(अ), तारीख 19 मार्च, 2007 द्वारा शुद्धि-पत्र जारी किया गया था और सा.का.नि. 1020(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधन जारी किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2016

G.S.R. 779(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sashastra Seema Bal, Secretarial Service Group 'A' Cadre Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to certain Group 'A' Secretarial Service Cadre Non-Combatised posts in the Sashastra Seema Bal under the Ministry of Home Affair, namely :-

1. **Short title and Commencement**.- (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal Non-Combatised Secretarial Service Group 'A' Cadre Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applications.-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale** .- The number of posts, their classifications, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to other the party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Superannuation.** - The personnel appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years :

Provided that a person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

7. **Liability of service**.- Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

8. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	**(7)**
1. Joint Deputy Director	1*(2016) *Subject to variation dependent upon work load	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 (Grade Pay Rs. 7600)	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or/deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion	**Promotion**:- (a) Assistant Director of Sashastra Seema Bal in Pay Band 3 (Rs. 15600-39100) plus Grade Pay Rs. 6600 with five years' regular service in the grade; and (b) have successfully completed two weeks promotional training as specified by the Director General of the Force from time to time. **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman 2. Inspector General, Sashastra Seema Bal : Member 3. Director, Ministry of Home Affairs : Member 4. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal : Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Director	5*(2016) *Subject to variation dependent upon work load	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 (Grade Pay Rs. 6600)	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion	**Promotion**:- (a) 60% by promotion of Section Officers of Sashastra Seema Bal in Pay Band 2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay of Rs. 4600 with seven years' regular service in the grade; and (b) have successfully completed two weeks promotional training as specified by the Director General of the Force from time to time; and (a) 40% by promotion of Private Secretaries of Sashastra Seema Bal in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay Rs. 4600 with seven years' regular service in the grade; and (b) have successfully completed two weeks promotional training as specified by the Director General of the Force from time to time. **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission **:** Chairman 2. Inspector General, Sashastra Seema Bal **:** Member 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs **:** Member 4. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal **:** Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay / pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) :- 1. Inspector General, Sashastra Seema Bal : Chairman 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs : Member 3. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal : Member	

[F. No. 17/2/SSB/CSC/Area/Gp 'A'/2014/SFS]

V. SHASHANK SHEKHAR, Jt. Secy, (POLICE-II)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide GSR 180(E), dated 6th March, 2007 and subsequently corrigendum issued vide GSR 204(E), dated 19th March, 2007 and amendment issued vide GSR 1020(E), dated 28th December, 2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.